फा.सं.12016/07/2018-रा.भा. (का-2)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-2 भवन,बी विंग,चौथा तल,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001,
दिनांकः 10 .01.2019

कार्यालय ज्ञापन

राजभाषा विभाग द्वारा लिए गए निर्णयानुसार राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट के प्रोफार्मा में संशोधन/परिवर्तन किया गया है। हिंदी से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टों में केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों/बैंकों आदि द्वारा तथ्यपरक आंकड़ों को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक कार्यालय आदि को विभागाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित प्रमाण पत्र भी देना होगा-

"मैं यह प्रमाणित करता हूं कि संलग्न .... को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट(भाग-1/2) में दी गई सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतया सत्य है। मैं यह अच्छी तरह समझता हूं कि राजभाषा अधिनियम एवं राजभाषा नियम 1976 के उपबंधों में दिए गए निदेशों के समुचित अनुपालन की जिम्मेदारी अधोहस्ताक्षरी की है। यदि किसी स्टेज पर रिपोर्ट में भरे गए आंकड़े असत्य अथवा बढ़ा-चढ़ा कर दिखाए गए पाए जाते हैं तो इस कार्यालय को अगले 03 वर्षों के लिए राजभाषा पुरस्कार से वंचित कर दिया जाएगा तथा गलत सूचना देने के लिए कार्रवाई हेतु मामला मेरे नियंत्रक कार्यालय/मंत्रालय के संज्ञान में भी लाया जाएगा।"

2. उक्त प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय के प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित होगा और पीडीएफ फोर्म में अपलोड करना अनिवार्य होगा। इस प्रमाण पत्र के बिना कोई तिमाही प्रगति रिपोर्ट स्वीकार्य नहीं होगी।

3. उक्त प्रमाण पत्र राजभाषा विभाग की वेबसाइट rajbhasha.nic.in पर सूचना प्रबंधन प्रणाली में भी उपलब्ध है और यह 31 दिसंबर, 2018 को समाप्त तिमाही की प्रगति रिपोर्ट से लागू होगा।

10/1/19

(सुस्मिता भट्टाचार्य)
उप निदेशक (कार्यान्वयन)
दूरभाषः 23438143

प्रतियां:

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (संलग्न सूची के अनुसार)
2. भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, 10 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली
3. संघ लोक सेवा आयोग, शाहजहां रोड, नई दिल्ली
4. भारत का निर्वाचन आयोग, अशोक रोड, नई दिल्ली
5. राजभाषा विभाग के अधीन सभी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय(संलग्न सूची के अनुसार) को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे अपने कार्यक्षेत्र में आने वाली सभी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के ध्यान में ला दें।
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक(एनआईसी) को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु।